

Form-II
(for projects other than linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No. 1628 /DRA

Dated:- 2-8-2016

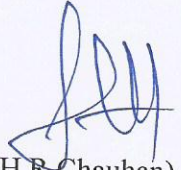
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.34.33 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer National Highway Division HP.PWD. Pandoh** for the Construction of **Four Lane Bridge at Manali on National Highway NH-3** in Kullu District falls within jurisdiction of **G.P. Vashishat** Tehsil Anni

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.34.33 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A Copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Vashishat Villages(s)** is enclosed as Annexure C to Annexure D.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


(H.R. Chauhan)
District Collector,
Kullu.
COLLECTOR Kullu

Annexure-A

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KULLU DISTRICT
KULLU H.P.**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Hans Raj Chauhan, Deputy Commissioner, Kullu on **30-07-2016** at **11:00** AM/PM at Kullu in which the claiming rights in **G.P. Vashishat** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee(s) of Manali Sub Division(s), was discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decision was taken on application:-

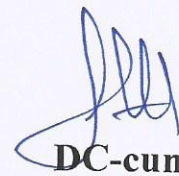
Sr. No. Name of Applicant

Decision (Admitted/Rejected)

Admitted

1. Executive Engineer,
National Highway Division
HP.PWD. Pandoh.

**C/o Four Lane Bridge at
Manali on National Highway NH-3**



DC-cum

**Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.**

COLLECTOR Kullu

Place: Kullu

Dated: 30-07-2016.

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Manali
DISTRICT Kullu (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Manali Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Jyoti Gupta, SDO(Civil) Manali on 11-7-2016 at 11.00 AM/PM at Manali Place in which the application(s) claiming rights in Four Lane Bridge at Mandi ^{on N.H. 23} forest areas under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of me/Manali's Vastish Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

Name of Applicant	Decision (Recommended/not Recommended)
-------------------	--

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Executive Engineer | Recommended |
| 2. National Highway Division | |
| 3. H.P. PWD Pandoh. | |

Place: Manali

Date: 11-7-2016

Sub Divisional Officer (C)
Manali Dist. Kullu (H.P.)
Manali Sub-Division.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत वशिष्ठ
विकास खण्ड नगर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्री मती प्रेम लाल
दिनांक 24/04/2016

गणपूर्ति 226/1068

प्रस्ताव संख्या 9

विषय हि० प्र० लौ० नि० वि० रा० ड० मा० प० ड० ह० विभाग/संस्था को मनाली में
..... पुल के निर्माण हेतु

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.34.33 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत सभा वशिष्ठ की बैठक आज दिनांक 24/04/2016 को 11:00 बजे स्थान पंचायत कार्यालय
..... वशिष्ठ में की गई जिसमें हि० प्र० लौ० नि० वि० रा० ड० मा० प० ड० ह० विभाग/संस्था मनाली में पुल निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.34.33 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्राम वासियों ने संबन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के लिए उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई तथा प्रस्तावित 0.34.33 हैक्टेयर वन भूमि को पुल निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा वशिष्ठ की सहमति दी जाती है।

स्थान पंचायत कार्यालय वशिष्ठ
दिनांक 24/04/2016



PRADHAN

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत वशिष्ठ

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ग्राम पंचायत वशिष्ठ
राजस्व गांव धराणु
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 15/02/2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा वशिष्ठ पंचायत की बैठक आज दिनांक 15/02/2016
को 10:00 बजे, स्थान पंचायत वशिष्ठ में श्री/श्रीमति दिनेश डोलमा
की अध्यक्षता में की गई जिसमें धराणु गांव/गावों

के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मनाली

जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें मनाली में हिमालय फिफ्टीन
राज्य में पंचायत वशिष्ठ के निर्माण के लिए 0.3433 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति अधिकांश अधिवासी राज का जंगल/वन क्षेत्र में पुल के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को विरस्त करती है।

स्थान पंचायत वशिष्ठ
दिनांक 15/02/2016



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT VASHISHT
DEV. BLOCK NAGAR, KULJHAP
ग्राम सभा

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

14

①

L

(6)

કુલ
(1)

નામે બેઠા
ચેરિંગ થાળા નિ બા ઠા

રેવેનુ

રજીસ્ટ્રાર

32
T

જીએમ 2

(2)

મહાલ અચરુ

332
T

અણદિત વન

6-23-77

ગેરમુજબિન ચરિયા

334
T

6-61-14

વરાગદ

કિલ્લા
3

0 34.33 →

6-34 33

કારાદિત વાજ

ગેરમુજબિન
ચરિયા

જીએમ 2

ગેરમુજબિન ચરિયા

6-23-77

6-01-14

વરાગદ

Assistant Engineer
Sub-Division, H.P. & S.
KATRAI

Executive Engineer
N.D. & S. H.P. & S.
(P.)

કુલ મહાતા દરેક પાત્ર બાબત નોંધેલ જાતી મનાતા
 મહાતા જાતી કુલ બાબત નોંધેલ ઉચ્ચ મર્જ - ૨

ક્રમ	ક્રમ (વિત્ત)	કુલ મહાતા મહાતા	કિલો	વિત્ત
૩૩૨	189	$\frac{129(18+8)}{2} = 1486$ $\frac{113 \times 14}{2} = 791$ 2277	6-23-77	જે. મુનિયં
૩૩૩	21	$\frac{95(41+38)}{2} = 352$ $\frac{46(6+4)}{2} = 230$ $\frac{47 \times 3}{2} = 70$ $\frac{51 \times 6}{2} = 153$ $\frac{78 \times 34}{2} = 1326$ $\frac{38 \times 8}{2} = 152$ $\frac{115 \times 18}{2} = 1035$ $\frac{115 \times 15}{2} = 862$ $\frac{65 \times 12}{2} = 390$ $\frac{8 \times 3}{2} = 12$ $\frac{70 \times 8}{2} = 280$ $\frac{100 \times 49}{2} = 2450$ 1987	6-28-12	જે. મુનિયં
૩૩૪				

વિત્ત મહાતા મહાતા

કુલ મહાતા. ૩.૨૨.૦૬

૫-૧૦-૧૭ Assistant Engineer
 Sub-Division, KATRAIN

FAX NO. : ①

Jan. 01 1999 06:18AM PC

સિદ્ધિ કુલ મુલ્યકાલ વિદ્યાર્થી આજા મનાતા તદ્દનતા બાજી
 મુલ્ય બાવત કાઠમુદિ ઉદ્યમા (૨૧) (મનાચી મુલ)

કાલ	બાવત	કલ્પતરાજ બચ્ચા	કાલ	વિચરણ
૩૨		$\frac{68 \times 9}{2} = 306$ $\text{ક} \frac{500 \times 2}{2} = 348$ $\text{અ} \frac{39 \times 8}{2} = 288$ $\underline{\underline{942}}$	૬-૯-૫૨	૫ મેમ્બર સુધી
૩૨		$\frac{32}{2}$	૦-૩૦-૧૨	આર કાલ નવ

સુ. સુબ-
KATRAN

Executive Engineer
 N T I M C A M T D
 PANDOL, N. E. (U. P.)

M

1

वसुधायु	दारा	नरसुधायु	इस विराज भय नरसुधायु	विजय
३२५	$\frac{३२५}{१}$	३.०६	$\frac{३२५}{१} = ६५$ $\frac{१६५}{१} = १६$ $\frac{१५५}{१} = ३५$ $\frac{१५}{१} = १५$	० न. १५ चरागाह
११	$\frac{३२५}{२}$	१)	$\frac{३२५}{२} = १६२.५$ $\frac{३२५}{२} = १६२.५$	००६.३१ चरागाह

64171
14-07-16 14

DE
14/7/16

दिनांक 11.07.2016 को 11:00 बजे प्रातः उप मण्डल अधिकारी। ना0। मनाली की अध्यक्षता में आयोजित अधिसूचना Government of HP Tribal Development TBD(A)3-1/2013 Loose Dated Shimla -2 21st August 2013(Forest Rights) Rule 2007 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में (उप मण्डल स्तरीय) समिति की बैठक की कार्यवाही।

DEA
14/7/16
सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि आज की बैठक मनाली में फोरलेन पुल के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण करने के लिए विचार विमर्श हेतु बुलाई गई है।

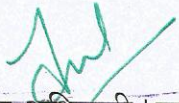
बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

- 2881
21/7/16
- 1 नायब तहसीलदार मनाली (सदस्य सचिव)
 - 2 वन परिक्षेत्र अधिकारी मनाली (सदस्य)
 - 3 श्री हीरा लाल गांव डोभा (गैर सरकारी सदस्य)
 - 4 श्री सुरेन्द्र सिंह गांव जुआनी रोपा (गैर सरकारी सदस्य)

(811)
प्रस्तुत आवेदन मुहाल दाना बिहाल फाटी नसोगी में खसरा न0 32/1 रक्वा तादादी 0-09-42 आरक्षित वन व मुहाल धराणू फाटी वशिष्ट में खसरा न0 332/1 रक्वा तादादी 0-23-77 यू0पी0एफ0 व खसरा नम्बर 324/1 रक्वा तादादी 0-01-14 यू0पी0एफ0 कुल रक्वा 0-34-33 है0 Four Lane Bridge के निर्माण हेतु हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित है पर उप मण्डल स्तर की कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। Forest Right Act 2006 व संशोधित नियम 2007 के मुताबिक उप मण्डल क्षेत्र मनाली में जो वन भूमि किसी परियोजना या परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होगी किसी भी अनुसूचित जनजाति तथा वन में रहने वाले आदिवासियों की भूमि पड़ती है या नहीं पड़ती है और यदि पड़ती है तो क्या वन भूमि के अधिग्रहण करने से इनके हक हकूक प्रभावित तो नहीं होते पर चर्चा की गई।

सर्व सम्मति से बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि Four Lane Bridge के निर्माण में जो वन भूमि प्रस्तावित है पर वन भूमि का FRA से सम्बन्धित अधिसूचना 2006 व संशोधित नियम 2007 के मुताबिक दिया जाये। क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जनजाति व वन में रहने वाले व्यक्तियों के हक हकूक प्रभावित नहीं होते हैं इसके अलावा प्रस्तावित भूमि का FRA से सम्बन्धित कोई भी दावा किसी भी स्तर पर लम्बित न है।

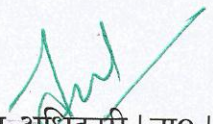
अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए Four Lane Bridge के निर्माण हेतु उप मण्डल स्तर की समिति उपरोक्त वन भूमि को FRA 2007 के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिए हस्तांतरण हेतु सिफारिश करती है तथा समिति जिला स्तरीय कमेटी को आगामी कार्यवाही करने की सिफारिश करती है।


उप मण्डल अधिकारी नाओ
मनाली जिला कुल्लू (H.P.)

पृष्ठांकन संख्या 865-71। एसडीओ के 0 दिनांक मनाली 11.07.2016

प्रतिलिपि सेवा में:

1. उपायुक्त महोदय कुल्लू जिला कुल्लू।
2. नायब तहसीलदार मनाली।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी मनाली।
4. सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हि० प्र० लो० नि० वि० पण्डोह।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य।


उप मण्डल अधिकारी नाओ
मनाली जिला कुल्लू (H.P.)

दिनांक 30-07-2016 को अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति कुल्लू की बैठक श्री हंस राज चौहान, उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया :-

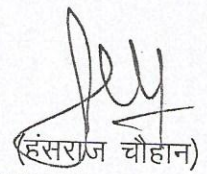
1. श्री हंस राज चौहान, उपायुक्त कुल्लू।
2. श्री विनय सिंह, सदस्य एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू।
3. डा० नीरज कुमार, वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
4. श्री हीरा लाल राणा, वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल पार्वती स्थित शमशी।
5. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी स्थित लूहरी।
6. वन मण्डल अधिकारी सराज स्थित बन्जार।
7. श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।
8. श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में आने का स्वागत किया। उसके बाद अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो वन भूमि हस्तान्तरित की जानी प्रस्तावित है, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में निम्नलिखित योजनाओं (जिनमें ग्राम सभा तथा उप मण्डल स्तरीय कमेटी का अन्नापति प्रमाण पत्र/सिफारिश सलग्न है) के लिए प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु समिति में विचार विमर्श किया गया :-

Sr. No.	Name of Company / Department	Purpose	Area	Name of Gram Sabha/Nagar Panchayat	Name of Sub-Divisional Level Committee.
1	HP. PWD. Banjar	Construction of Dimber Chahadi to Gashini Road.	2.68.20 Hec.	Gashini 158/186	Banjar
2	M/s Raghupreet Hydro Project Pvt.	Consturction of Transmission Line.	01-14-00 Bighas	Deuridhar 345/460, Sanghad 211/332	Banjar
3	HP. PWD. Banjar	Construction of Chanon to Kadil Road.	1.2760 Hec.	Chanon 680/1352	Banjar
4	HP. PWD. Banjar	Construction of Shanad to Shrikot Road.	5.18 Hec.	Sanad (Shrikot) 176/326	Banjar
5	HP. PWD. Banjar	Construction of Dehuri to Shanad Road.	0.60 Hec.	Kalwari 221/423 Shanaad 176/326	Banjar
6	HP. PWD. Banjar	Construction of Palach Kaliuni to Chhadhara Road.	0.40 Hec.	Palach 297/589	Banjar

	HP. PWD. Banjar	Constructon of Gushani to Tindar Road.	04.82 Hec.	Nohanda 335/605	Banjar
8	Govt. Degree Collage Sainj.	Construction of Govt. Degree Collage Sainj.	03-12-39 Hec.	Railla 337/792 Sainj 200/339	Banjar
9	HPSEBL. Elect. Div. Anni.	Construction of 22 KV Control Sub-Station at Dalash.	0-13-0 Bishwa	Dalash 370/678	Anni
10	HPPWD. Outer Seraj Div. Teh. Nirmand.	Construction of road Kandagai to Sour. Gram Panchayat Beungal.	0.51 Hec.	Beungal 290/565	Anni
11	HPPWD. Outer Seraj Div. Teh. Nirmand.	Construction of road Kandagai to Sour. Gram Panchayat Jaban.	1.14 Hec.	Jaban 210/410	Anni
12	HPPWD. Outer Seraj Div. Teh. Nirmand.	Construction of road Kandagai to Sour. Gram Panchayat Bakhnow.	0.27 Hec.	Banknow 388/739	Anni
13	APMC Kullu	Construction of Sub Market Yard Anni.	0.78.88 Hec.	Banknow 390/739	Anni.
14	Executive Engineer, National Highway Division HP.PWD. Pandoh	c/o Four lane bridge at Manali on National Highway NH-3	0-34-33 hec.	Vashashit 226/1068	Manali

उपरोक्त में से मद संख्या 1 से 14 में अंकित मामलों को समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।


(हंसराज चौहान)

उपायुक्त कुल्लू।

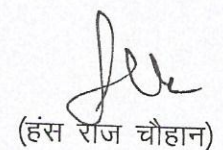
1621-27

पृष्ठाकन संख्या 1621-27 / डी0आर0ए0

प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 2-11-16

1. श्री विनय सिंह सदस्य एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।
2. डा0 नीरज कुमार, वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
3. श्री हीरा लाल राणा, वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल पार्वती स्थित शमली।
4. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी स्थित लूहरी।
5. वन मण्डल अधिकारी सराज स्थित बन्जार।
6. श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।
7. श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।


(हंसराज चौहान)